

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या 1342/आठ-1-22-60विविध/2018
लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित 66 परियोजनाओं संबंधी निदेशक, आवास बन्धु के पत्र संख्या-8657/2564-Vol-III/आ0ब0-1/निदेशक /2022-23 दिनांक 17.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- उपरोक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.10.2022 को मध्याह्न 12:00 बजे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सभागार में एक बैठक आयोजित की गयी है।

3- इस संबंध में अनुरोध है कि उक्त निर्धारित बैठक में किसी भिन्न अधिकारी को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष, आगरा/अलीगढ़/बरेली/बांदा/गाज़ियाबाद/गोरखपुर/झांसी/उरई/कानपुर/मेरठ/मुजफ्फरनगर/रायबरेली/लखनऊ/मथुरा-वृन्दावन/अयोध्या/मुरादाबाद/हापुड़-पिलखुआ/फिरोजाबाद-शिकोहाबाद/रामपुर एवं उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त निर्धारित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)

अनु सचिव।



आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



1342/816-1-2022
प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: 2284880 2627021, फैक्स: 2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 8657 / 2564-Vol-III / आ.ब.-1 / निदेशक / 2022-23 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्ता प्रदेश।

सेवा में,

उप सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1,
उ०प्र० शासन।


विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत अनारम्भ परियोजनाओं एवं आरम्भ हो चुकी परियोजनाओं तथा निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में।


महोदय,


कृपया प्रमुख सुचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.10.2022 को उनके कार्यालय कक्ष में अभिकरणों द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रेषित 66 परियोजनाओं के संबंध में सम्पन्न बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित बैठक में निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित 66 परियोजनाओं, अनारम्भ परियोजनाओं एवं आरम्भ हो चुकी परियोजनाओं के अंतर्गत अनारम्भ भवनों के संबंध में संबंधित अभिकरणों से विचार-विमर्श हेतु शासन स्तर पर बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जाना प्रस्तावित है:-

1. अनारम्भ परियोजनाओं को शीघ्र आरम्भ किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श।
2. निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत अनारम्भ भवनों के संबंध में विचार-विमर्श।
3. निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं में निरस्तीकरण के कारण का अस्पष्ट उल्लेख होने के संबंध में विचार-विमर्श।

कृपया उपरोक्त बैठक को आयोजित किये जाने के संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


18.10.2022


10/10/2022

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भारीदारी में किकायती आवास योजना के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रेषित परियोजनाओं का विवरण

(अ) लाभार्थियों की अनुपलब्धता एवं वित्तीय रूप व्यवहार्य (Viable) न होने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रेषित 53 परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (लिखित सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आकलित लागत	सक्षिप्त टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उPHO आवास एवं विकास परिषद	1 भुरदाबाद (मंडोली पो0) से0-16	528	दि. 09.03.19 से 04.07.19 तक दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	16 240	-	प्राप्त आवेदकों को सेक्टर-16 में निर्मित 288 भवनों में से रिकत भवनों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित।
		2 बारवकी (ग्राम-बडेल)	288	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	232		बाह्य विकास कार्यों हेतु संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी-3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		3 मेरठ (जागृति विहार) से0-8ए	816	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	200		प्राप्त आवेदकों के सापेक्ष सेक्टर-2 में निर्मित 480 भवनों में से रिकत भवनों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी-3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		4 लखनऊ (सरोजनीनगर)	752	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	165		सिद्धित भूमि सीलिंग की होने के कारण भूमि का कब्जा प्राप्त होने एवं शासन के निर्देशों के क्रम में बाह्य विकास कार्यों हेतु संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त होने की उपरान्त निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
		5 हरदाई (तलौरा, बावन)	528	दि. 09.03.19 से 04.07.19 तक दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	1 93		पंजीकरण के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किया जाने हेतु प्रस्तावित। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी-3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		6 उन्नाव (ग्राम-सिंगरौली)	240	दि. 09.03.19 से 04.07.19 तक दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	8 26		
		7 गाजियाबाद (मण्डोला विहार)	6000	दि. 09.03.19 से 04.07.19 तक दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	71 163		
		8 अन्नेडकरनगर (न्यौतारिया)	240	-	-		जिलाधिकारी की सस्युति के क्रम में परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
		9 कौशम्बी	144	-	-		

क्र. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आंकलित लागत	संक्षिप्त टिप्पणी
		10 फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	624	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	8		पंजीकरण के सापेक्ष प्रस्ताव संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तावित। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी+3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/ शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		11 बादा (ग्राम-लडाकापुरवा)	240	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	15		
		12 कानपुर देहात (आलमचंदपुर)	480	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	13		
		13 कन्नौज (छिन्नमल)	96	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	10		पंजीकरण के सापेक्ष प्रस्ताव संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तावित। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी+3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/ शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		14 मऊ (बहुआ गोदाम)	192	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	36		
		15 हाथरस (ग्राम-रामपुर, सदर)	144	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	17		
		16 रायबरेली (देवनंदपुर सदर)	528	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	23		
		17 फिरोजाबाद	128	दिनांक 13.02.2020	0		खिमाण्ड सर्वे में लाभार्थी न मिलने के कारण परियोजना निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
		18 मैनपुरी (ओडेय्य पडरिया)	528	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	42		पंजीकरण के सापेक्ष प्रस्ताव संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण परियोजना निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तावित। परियोजना हेतु परिषद द्वारा दिनांक 5.08.22 से 15.10.22 तक दुर्बल आयवर्ग भवनों (जी+3) के लिये पुनः विशेष पंजीकरण खोले गये हैं जिसमें प्राप्त पंजीकरण संबंधी सूचना आवास बन्धु/ शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
		19 बलरामपुर (ग्राम-धुलपुर)	288	दि. 01.09.20 से 15.11.20 तक	11		
2	आगरा विभाग	1 बुढाना पार्ट-1	280	-	-		बुढाना में 856 भवन बनाने का प्रस्ताव था। संबंधित स्थल पर सड़क, पहुँच मार्ग, बिजली, पानी, जल निकासी, सीवर आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही आस-पास प्राधिकरण की कोई योजना है और न ही विकसित क्षेत्र या नगरीय सेंटलमेंट है, जहाँ से उपरोक्त सुविधायें संबंधित क्षेत्र तक विस्तारित की जा सकें। उक्त योजना की व्यवहारिकता, ग्राह्यता एवं वित्तीय विश्लेषण/प्रभाव को देखते हुये योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदक्रम में बुढाना योजना शासन स्तर से भी निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।
		2 बुढाना पार्ट-2	576	-	-		(नोट- पूर्व में प्राधिकरण द्वारा टी.टी.जेड. से आच्छादन एवं बाह्य विकास कार्य पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने में अस्मर्थता, नगरीय आबादी से 05 किमी0 दूर होने तथा लाभार्थियों द्वारा देय धनराशि रु0 3.50 लाख प्रति भवन पर लाभार्थियों की अनुपलब्धता अवगत कराया गया है।)

संक्षिप्त रिपोर्ट

क्र. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आंकलित लागत	वर्तमान में भी लाभार्थी पूरे नहीं मिल पाये हैं। मेगा बिल्डर के 1500 भवन हेतु 953 आवंटन मॉड्यूल/फाउंडेशन/प्लान के 364 भवनों हेतु 154 आवंटन व धनराज बिल्डर्स के 480 भवनों के सापेक्ष 480 आवंटन हुए हैं। इस कारण तत्समय ही मेगा ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रॉजिक्ट 10 ग्राम उड़ला जागीर, बरेली के 192 नए भवनों के निर्माण की परियोजना की स्वीकृत डीपीआर0 करने की स्वीकृति दिनांक 25.02.21 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी है।
5	बांदा वि0प्र0	2 मे0 स्पर्श ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रॉजिक्ट (निजी विकासकर्ता)	192	पत्रांक-551/ब.वि.प्रा./2017-18 दिनांक 20.12.2017 के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है।	1923	-	तत्कालीन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या-11 दिनांक 23.05.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कोई भी व्यक्ति भवन लेने का इच्छुक नहीं है, के संवोध में सूचित किया गया है। डिमाण्ड सर्वे में कुल 1923 लाभार्थियों के आवंटन प्राप्त हुए थे। कुल प्राप्त आवेदनों की जांच 08 अवर अभियन्ताओं द्वारा की गयी जिसमें से 1074 लाभार्थी भवन लेने के इच्छुक नहीं हैं तथा 476 अपात्र हैं साथ ही 342 ऐसे आवेदक पाये गये हैं जिनके द्वारा अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा चुका है व मात्र 31 आवेदक ऐसे पाये गये हैं जो योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं जो अत्यधिक न्यूनतम संख्या में है।
6	गाजियाबाद वि0प्र0	1 मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 2160 (सी+9) भवनों का निर्माण 2 मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 660 (सी+9) भवनों का निर्माण 3 मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 2230 (सी+9) भवनों का निर्माण 4 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोयल एक्सेल में 1800 (एस+9) भवनों का निर्माण कार्य।	2160 660 2280 1800	-	-	14,799 15,234 15,253 11,320	भवन निर्माण कार्य बहुमजिला प्रस्तावित होने के कारण समस्त आवासीय सुविधायें लिफ्ट आदि का प्राविधान होने, फ्रंट स्ट्रक्चर एवं नींव निर्माण में अत्यधिक व्यय होने के कारण भवन की आंकलित लागत निर्धारित मूल्य से अत्यधिक होने के कारण उक्त भवनों का निर्माण वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है।

क्र.सं.	अधिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विभापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विभापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आवेदकित लागत	सक्षिप्त टिप्पणी
		5	ग्राम-नर्सरी में 1440 (बी+3) भवनों का निर्माण	-	291	7.706	भूमि विभापन प्रशासन द्वारा निशुल्क उपलब्ध करायी गयी थी जिस पर प्राथमिकता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर स्थानीय किसानों द्वारा प्रतिरोध किया गया एवं माओ राजस्व परिषद द्वारा उचित भूमि पर यथा स्थित बनाये जाने के आदेश निर्गत किये गये तथा 1440 भवनों के समूह मात्र 291 ही आवेदन प्राप्त हुये थे, प्राप्त 291 आवेदनों में से 143 आवेदक पात्र एवं 148 आवेदक अपात्र थे। 145 पात्र आवेदकों में से 124 आवेदकों को अन्य योजनाओं में भवन आवेदित किये जा चुके हैं तथा 19 आवेदकों द्वारा पंजीकरण सारी यापिस ली जा चुकी है। पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने तथा भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।
		6	राजस्व ग्राम निवाड़ी के आराजी सं0-2342 एवं 2344 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 288 भवनों का निर्माण कार्य।	-	288	6.220	एक ही स्थल के आस-पास 288+528 कुल 816 भवन की डीपीआर स्वीकृत है, लेकिन अभी तक मात्र 688 आवेदन ही प्राप्त हुये हैं। इन आवेदकों के निरूद्ध सत्यापन का कार्य डूबा/सूजा द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त आवेदकों की संख्या कम प्राप्त होने की सम्भावना है। इनके निरूद्ध वर्तमान में 528 भवन स्थल पर निर्माणाधीन है तथा 288 भवनों हेतु प्रशासन से भूमि भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः पर्याप्त मात्रा में आवेदक प्राप्त न होने तथा भूमि भी उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।
7	गोरखपुर वि0प्र10	1	खोसबाब उर्फ सूबा बाजार	-	1536	-	वर्ष 2017 के लक्ष्य के सापेक्ष 1500 ईडब्ल्यूएस इकाईयों का निर्माण किया गया है। उचित योजना में भी आरक्षित वर्ग के भवनों को बार-बार पंजीकरण खोलने के पश्चात अब तक कुल 1475 भवनों को पात्र आवेदकों को आवेदित किया गया है। अभी भी 25 भवन पात्र आवेदक उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है। भविष्य में भी योजना लान्य किये जाने पर पात्र आवेदक न मिल पाने के दृष्टिगत पत्रांक-1156 / अमि0अनु0 / गोवि0प्र10 / 2019-20 दिनांक 18.02.2019 एवं पत्रांक-93 / अमि0अनु0 / गोवि0प्र10 / 2020-21 दिनांक 04.06.2020 के परिपेक्ष में पंजीकरण नहीं खोला गया।
8	झांसी वि0प्र10	1	ग्राम-कारारी फंस-2	1833 / जे.डी.ए. / वि0 / 2018-19, दिनांक 06.12.2018	0	-	पात्र लाभार्थियों के अभाव में योजना निरस्वीकरण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को पत्र प्रेषित किया गया है।
		2	ग्राम-बिजौली-3	432	127	-	
		3	ग्राम-खैलार-4	384	94	-	
9	कानपुर वि0प्र10	1	कुलगांव	17.10.2018 से 17.11.2018 तक	87	-	इस योजना में 2208 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 87, 58, 284 एवं 123 अर्थात कुल 552 आवेदन प्राप्त हुये थे। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं नू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।
				29.11.2018 से 29.12.2018 तक	58	-	
				07.01.2019 से 07.02.2019 तक	284	-	
				10.07.2019 से 09.08.2019 तक	123	-	

क. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आकलित लागत	संक्षिप्त टिप्पणी
							इस योजना में 1776 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 94, 128, 374 एवं 761 अर्थात् कुल 1357 आवेदन प्राप्त हुये थे। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं किसानों से भूमि विवाद होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।
			1776	17.10.2018 से 17.11.2018 तक 29.11.2018 से 29.12.2018 तक 07.01.2019 से 07.02.2019 तक 10.07.2019 से 09.08.2019 तक	94 128 374 761		
			2160	17.10.2018 से 17.11.2018 तक 29.11.2018 से 29.12.2018 तक 07.01.2019 से 07.02.2019 तक 10.07.2019 से 09.08.2019 तक	23 23 66 68		इस योजना में 2160 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 23, 23, 66 एवं 68 अर्थात् कुल 180 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष अत्यन्त कम आवेदन प्राप्त होने के कारण एवं किसानों से भूमि विवाद होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।
			3840	10.07.2019 से 09.08.2019 तक	885		इस योजना में 3840 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में एक बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें मात्र 885 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष अत्यन्त कम हैं। इस योजना में अपर्याप्त डिमाण्ड होने के कारण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित होने के कारण योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना उचित नहीं है।
			864	17.10.2018 से 17.11.2018 तक 29.11.2018 से 29.12.2018 तक 07.01.2019 से 07.02.2019 तक	353 545 1831		इस योजना में प्रस्तावित 864 भवनों के सापेक्ष पूर्व में 03 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 353, 545 एवं 1831 अर्थात् कुल 2729 आवेदन प्राप्त हुये थे, जो प्रस्तावित भवनों से 1865 अधिक आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त योजना में पर्याप्त डिमाण्ड है, परन्तु योजना हेतु पड़च मार्ग एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध करने में आने वाली कठिनाईयों वृष्टिगत उक्त योजना हेतु यह भूमि उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रही है।
			1728	17.10.2018 से 17.11.2018 तक 29.11.2018 से 29.12.2018 तक 07.01.2019 से 07.02.2019 तक 10.07.2019 से 09.08.2019 तक	161 185 727 667		इस योजना में 1728 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 04 बार पंजीकरण खोला गया था, जिसमें क्रमशः 161, 185, 727 एवं 667 अर्थात् कुल 1740 आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त योजना में पर्याप्त डिमाण्ड है, परन्तु किसानों से भूमि सम्बन्धी विवाद होने के कारण इस योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
10	मेरठ विभाग	1432 इडब्ल्यूएस बराल परतापुर, मेरठ	1432			9.857 लाख (वर्तमान आकलित मूल्य)	भवनों के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में आंगणन पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर.-2018 के आधार पर की गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान में संशोधित आंगणन एस.ओ.आर.-2020 के आधार पर तैयार किया गया है, जिस कारण प्रति भवन निर्माण लागत में वृद्धि हुई है।
			256	06.08.2019 - 13.09.2019 17.02.2020-16.04.2020 11.01.2021-25.01.2021	40 10 8		256 इडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 58 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
11	मुजफ्फरनगर विभाग	तहसील खतोली के राजस्व गांव बेगराजपुर में 256 इडब्ल्यूएस भवनों की	256				
			256	06.08.2019-13.09.2019 17.02.2020-16.04.2020 11.01.2021-25.01.2021	9 25 14		256 इडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 63 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
				पंजीकरण हेतु कैम्पा आयोजन	15		

क्र. सं.	अधिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आकलित लागत	साक्षित टिप्पणी
				डिमान्ड सर्वे 11.06.2021-18.06.2021 24.06.2021-30.06.2021	3	8	400 ईडब्ल्यूएस भवनों के सापेक्ष कुल 11 आवेदक प्राप्त होने के कारण योजना को निरस्त किया जाना उचित होगा।
12	उरई विभाग	1 भोजनामंत्री आवास योजना (शहरी)	192	कार्यालय पत्र सं-121 /उओविभाग, दिनांक 13.03.2018 आवश्यक सूचना / डिमाण्ड सर्वे	361		दिनांक 25.11.2019 को आयोजित मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में परियोजना अधिकारी, बूडा से पुनः डिमाण्ड सर्वे कराया गया। परियोजना अधिकारी, बूडा के पत्र सं-73 / बूडा / पीएमएलआई0 / 2019-20, दिनांक 04.02.2020 के द्वारा अद्यतन कराया गया कि उरई नगर से प्रस्तावित स्थल की दूरी 10-12 किमी0 होने के कारण चयनित पत्र लाभार्थियों द्वारा आवास लेने एवं अंशदान की धनराशि जमा करने में असमर्थता।
13	रायबरेली विभाग	1 देवानन्दपुर, रायबरेली में ए.एच.डी. घटक के अंतर्गत पीएमएआई में चार मंसिले, ईडब्ल्यूएस आवास का विवरण	457	05 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक 15 जून, 2019 से 14 अगस्त, 2019 तक 05 सितंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक 15 नवंबर, 2019 से 14 जनवरी, 2020 तक	5 58 31 10	8.56 लाख की सी0पी0आर0 धनांक ₹0 311.95 लाख वित्त पोषण हेतु प्राधिकरण पत्र संख्या-1743 / अवि0अनु0 / रा0वि0भाग / 2019-22 / 2020 दिनांक 25.01.2020 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेजित की गयी थी। जिसे उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उओपी0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-11301 / आड-1 -20-339 / 2019 दिनांक 18.09.2020 द्वारा वास्तु विकास कार्यों के वित्त पोषण का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। प्रस्तावित स्थल अभी विकसित नहीं है। देवानन्दपुर योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की परियोजना जो वर्ष 2018 में तैयार की गयी थी, तत्समय प्रति भवन की लागत ₹0 6.50 लाख की आ रही थी। परियोजना की सी0पी0आर0 वर्ष 2022 की दरों का समावेश करने हुए जब डी.पी.आर. को अपडेट किया जाता है तो प्रति भवन की लागत ₹0 8.56 लाख आ रही है।	
कुल योग		53 परियोजनायें	52844 भवन				

(ब) मा0 न्यायालय में वाद, भूमि की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित होने, टी.टी.जेड. से प्रभावित होने एवं निजी विकासकर्ता द्वारा रूचि न दिखाने जाने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रेषित 13 परियोजनाओं का विवरण

1	लखनऊ विभाग	1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सरोजनीनगर ग्राम-नरनगर भद्ररसा में 4456 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण कार्य	4456	-	-	-	वर्तमान समय तक ग्राम नूर नगर भद्ररसा तहसील सरोजनी नगर लखनऊ, लखनऊ विकास सीमा क्षेत्र के बाहर है। अतः उक्त भूमि के वर्तमान समय तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में अंतरण न होने के तद्विधात 4456 भवनों के निर्माण हेतु रबीकृत डी.पी.आर./प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा समावेश किया जा रहा है।
2	नगर निगम, लखनऊ	1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत समूह आवासीय योजना पारा में 239 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	239	-	-	-	भूमि विवाद निश्चित न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

क्र. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आंकलित लागत	संक्षिप्त टिप्पणी
3	मथुरा-दुन्दान वि०प्र०	1 प्र.आ.यो. (शहरी) के अंतर्गत पुनर्रख बांगर गाटा संख्या-304, 305 में 268 ई. डब्ल्यू.एस. भवन	268	-	-	-	परियोजनाएं टी.टी.जेड. से प्रभावित होने, निर्माण स्थल पर मानक के अनुसार 12 मी० चौड़ी सड़क न मिलने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। परियोजनाओं के निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रेषित है।
4	मेरठ वि०प्र०	1 प्र.आ.यो. (शहरी) के अंतर्गत पुनर्रख बांगर गाटा संख्या-351 में 640 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	640	-	-	-	परियोजना के प्रस्तावित स्थल पर मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन होने के कारण परियोजना पुनर्स्थापन वाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण परियोजना निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित है।
5	मुरादाबाद वि०प्र०	1 प्र.आ.यो. (शहरी) के अंतर्गत टकला योजना गाटा संख्या-369, 370 में 304 ई. डब्ल्यू.एस. भवन	304	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में पारित स्थगनदेश के आलोक में योजना को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2		2 प्र.आ.यो. (शहरी) के अंतर्गत शाहपुर टिगरी गाटा संख्या-02 में 1552 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	1552	-	-	-	वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2020 के विरुद्ध रिट्यू याचिका दाखिल है, किन्तु प्रश्नगत भूमि वाद से अंतर्प्रस्त होने के कारण स्थल पर योजना को प्रारम्भ/क्रियावित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
3		3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ग्राम-मदौरा में 944 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	944	-	-	-	मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद विचाराधीन है तथा परियोजना पर बांछित एप्रोच मार्ग उपलब्ध न होने तथा एप्रोच मार्ग हेतु भूमि अर्जन पर व्यय, लगभग 2 मी० मिट्टी भराई पर व्यय एवं उक्त के दृष्टिगत भवनों के फाउंडेशन हेतु विशिष्ट प्राविधान किये जाने पर भवनों की लागत में अतिरिक्त वृद्धि के कारण परियोजना लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य नहीं रहेगी। अतः योजना को निरस्त किये जाने की कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।
4		4 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ग्राम-दंडमारी में 272 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	272	-	-	-	सन्दर्भित भू-भाग के मध्य से 80 फिट चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग के कारण परियोजना प्रभावित हो गया है। साथ ही परियोजना तक पड़ुंग मार्ग हेतु भूमि नगर निगम के स्वामित्व में है जिसका प्राधिकरण के पक्ष का नामान्तरण अद्यतन न हो सकने के कारण परियोजना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। अतः इसे ड्रॉप किया जाना उचित है।
6	हापुड-विलखुवा वि०प्र०	1 प्र.आ.यो. (शहरी) के अंतर्गत 480 ई.डब्ल्यू.एस. भवन (मंसर्स श्री जी हाउसिंग प्रा.लि.) (निजी विकासकर्ता)	480	-	-	-	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण न होने के कारण निजी विकासकर्ता द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में प्राधिकरण की टी.टी.ई.सी. द्वारा परियोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

क्र. सं.	अभिकरण	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु विज्ञापन का विवरण (तिथि सहित)	प्रति विज्ञापन प्राप्त आवेदकों की संख्या	प्रति भवन आंकलित लागत	संक्षिप्त टिप्पणी
		2 प्र.आ.यो. (शाही) के अंतर्गत 880 ई.डब्ल्यू.एस. भवन (भैरवसर्ग युवका विल्डर्स प्रा.सि.) (निजी विकासकर्ता)	880	-	-	-	
7	कानपुर विभाग	1 प्र.आ.यो. (शाही) के अंतर्गत 576 ई.डब्ल्यू.एस. भवन (भैरवसर्ग शाही प्रा.सि.) (निजी विकासकर्ता)	576	-	-	-	निजी विकासकर्ता द्वारा सी.एस.एम.सी. से स्वीकृति के उपरान्त परियोजना की सी.पी.आर./डी.पी.आर. अभिकरण के चार-चार अनुसंधान करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण अभिकरण द्वारा परियोजना निरस्त किये जाने की संतुष्टि करते हुए सी.एस.एम.सी. से केन्द्रांश/राज्यांश की स्वीकृति को निरस्त कराये जाने का अनुसंधान किया गया है।
		2 प्र.आ.यो. (शाही) के अंतर्गत 976 ई.डब्ल्यू.एस. भवन (भैरवसर्ग ट्रेड स्टॉन लि.) (निजी विकासकर्ता)	976	-	-	-	
	कुल	13 परियोजना	12475	भवन			

महायोग (अ+ब) = 52844+12475= 65319

नोट- पूर्व में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 02 परियोजनाओं के निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इसके अतिरिक्त पुनः आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जाने वाली महुआखुड़ा स्थित 2016 भवनों की परियोजना एवं निजी विकासकर्ता भैरवसर्ग अटुल इन्फ्रा स्ट्रेट की 365 भवनों की परियोजना के निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पूर्व प्रेषित 64 परियोजनाओं (62938 भवन) में आगरा की 02 परियोजनाये सम्मिलित करते हुए निरस्तीकरण हेतु 66 परियोजनाओं का विवरण संकलित किया गया है।



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - ए.एच.पी. घटक
अनारम्भ परियोजनाओं एवं आरम्भ हो चुकी परियोजनाओं में अनारम्भ आवासों का विवरण

Oct, 2022

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	अनारम्भ भवनों की संख्या	अभिकरणों द्वारा प्रेषित आख्या का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	(अ) अनारम्भ परियोजनायें 1 अवध विहार योजना (पाट-2) 2 अजन्ता पुरम, लोनी रोड (निजी विकासकर्ता) (ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें 3 भिना रोड, बहराइच 4 स्पीनिंग मिल, इटावा 5 सिविल लाईन, गोण्डा 6 कनकहा, मोहनलालराज, लखनऊ 7 सेक्टर-15, मझोला, मुरादाबाद	576 603	576 603	कार्य स्थल पर किसानों का विरोध के कारण अन्यत्र परियोजना ले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भवन निजी विकासकर्ता द्वारा बनाये जाने हैं, भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ।
2	अयोध्या वि०प्र०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें मोहल्ला बाग, विजेसी, अयोध्या	640	256	256 भवनों हेतु भौके पर भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।
3	बरेली वि०प्र०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें 1 हथौरपुर, बरेली (सैसर्स मोहन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० निजी विकासकर्ता) 2 पुरनापुर एवं कृआटांडा, बरेली (सैसर्स मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कन्सोर्शियम निजी विकासकर्ता) 3 धंधौरा विपरिया, बरेली (सैसर्स धनराज विल्डर्स निजी विकासकर्ता)	364 1500 480	92 150 360	92 भवनों का निर्माण कार्य शासन से द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने के कारण आरम्भ नहीं किया जा रहा है। 150 भवनों का निर्माण कार्य शासन से द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने के कारण आरम्भ नहीं किये जा रहे हैं। 360 भवनों का निर्माण कार्य शासन से द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने के कारण आरम्भ नहीं किये जा रहे हैं।
4	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद वि०प्र०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजना ग्राम उसायनी, फिरोजाबाद	800	232	परियोजना टी०टी०जेड० से प्रभावित होने के कारण 232 भवनों के निर्माण पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। 568 भवनों के निर्माण की संशोधित परियोजना अनुमोदन हेतु सूझा को प्रेषित है।

अभिकरणों द्वारा प्रेषित आख्या का संक्षिप्त विवरण

6

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	अनारम्भ भवनों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
5	गाजियाबाद वि०प्रा०	(अ) अनारम्भ परियोजनायें			
		1 ग्राम पसौडा, गाजियाबाद (निजी विकासकर्ता)	251	251	मानचित्र निर्गत किया जा चुका है। वांछित अनापत्ति एवं रेरा रजिस्ट्रेशन न होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पा रहा है।
		2 एस.जी.एस. सिटी-1 (निजी विकासकर्ता)	1493	1493	
		3 एस.जी.एस.सिटी-2 (निजी विकासकर्ता)	1493	1493	
		4 ग्राम डासना, आश्रम-2 (निजी विकासकर्ता)	312	312	मानचित्र दिनांक 24.03.2022 को स्वीकृत। मानचित्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		5 मैसर्स रॉक फोर्ट डेवलपर्स प्रा०लि० (निजी विकासकर्ता)	147	147	भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
		6 सिनेचर ग्लोबल लाईफ स्टाइल (निजी विकासकर्ता)	873	873	शासन से भू-उपयोग परिवर्तन दिनांक 04.01.2022 को किया गया है। विकासकर्ता द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
		(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें			
		7 ग्राम निवाड़ी, गाजियाबाद	528	144	
		8 प्रताप विहार, गाजियाबाद	1200	576	
7	हापुड़-पिलखुवा वि०प्रा०	(अ) अनारम्भ परियोजनायें			
		ग्रीन सिटी एवं गोपाल किरन, हापुड़ (निजी विकासकर्ता)	956	956	प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निर्गत किया जा चुका है। रेरा पंजीकरण कराने व स्थल पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया है।
8	कानपुर वि०प्रा०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें			
		शताब्दीनगर फेस-3 व 4	4800	3648	भूमि विवाद के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका था। वर्तमान में 1152 भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ है।
9	लखनऊ वि०प्रा०	(अ) अनारम्भ परियोजनायें			
		1 बसन्त कुंज योजना सेक्टर-आई (जी+3), लखनऊ	4512	4512	परियोजना हेतु इन्चार्जमेन्टल इम्पैक्ट क्लीयरेंस की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		2 पुराना हैदराबाद, हसनगंज, हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ	120	120	वर्तमान में शासन द्वारा उक्त परियोजना हेतु नजूल भूमि प्राधिकरण को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
10	मुरादाबाद वि०प्रा०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें			
		सोनकपुर, मुरादाबाद	208	32	176 भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवशेष 32 भवनों के निर्माण स्थल पर मा० जिला न्यायालय मुरादाबाद से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। अन्य स्थान पर 32 भवनों के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है।
11	रायबरेली वि०प्रा०	(ब) आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें			
		ग्राम देवानन्दपुर, रायबरेली	520	285	प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पंजीकरण खोला गया जिसमें पर्याप्त डिमाण्ड प्राप्त न हो सकी है। 235 भवनों के निर्माण की संशोधित परियोजना अनुमोदन हेतु सूझा को प्रेषित है।

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	अनारम्भ भवनों की संख्या	अभिकरणों द्वारा प्रेषित आवेदन का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
12	रामपुर वि०प्र०	(ब) आशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें	240	210	210 अनारम्भ भवनों को शीघ्र आरम्भ करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया है।
13	उन्नाव-शुक्लागंज वि०प्र०	(ब) आशिक रूप से आरम्भ परियोजनायें	480	48	जिला प्रशासन द्वारा दोनो परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि स्थल उपलब्ध न करायें जाने के कारण 96 (48+48) भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पा रहा है।
			240	48	
			कुल	26792	18857